प्रेस विज्ञप्ति
28.08.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स अमृत फीड्स लिमिटेड और इसके (एएफएल) निदेशकों के खिलाफ चल रही जांच के संबंध में धन शोधन/प्रवर्तकोंनिवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए के प्रावधानों के तहत (26/8/2025 को तलाशी अभियान चलाया है। एके मुख्य प्रवर्तक और प्रबंध निदेशक हरीश बागला को गिरफ्तार कर लिया .एल .एफ . गया है और उन्हें30.08.2025 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है।

ईडी ने कंपनी मामला संख्या 04/2024 दिनांक 22/03/2024 में शिकायत के आधार पर जांच शुरू की, जिसे एस .आई .एफ . .एल .एफ .द्वारा ए .ओ, इसकी संबंधित कंपनियों और निदेशकोंप्रवर्तकों के खिलाफ बैंकों के धन की हेराफेरी के लिए दायर किया / ने ऋण निधियों का गबन किया और बैंकों को पुनर्भुगतान में .एल .एफ .गया था। ए चूक की।वित्त वर्ष 2015-16 में ऋण एनपीए हो गए। बकाया सावधि ऋण राशि 93.62 करोड़ रुपये और बकाया नकद ऋण सुविधा 51.06 करोड़ रुपये थी, यानी कुल **144.68 करोड़ रुपये** की चूक की गई।

कोलकाता में विभिन्न परिसरों में तलाशी के दौरान लगभग 57 लाख रुपये की नकदी जब्त की गई है। बड़ी संख्या में पैन कार्ड, कई संस्थाओं/व्यक्तियों की विभिन्न खाली और हस्ताक्षरित चेक बुक/पर्चे, विभिन्न संस्थाओं के नाम पर बड़ी संख्या में अचल संपत्तियों की मूल बिक्री/खरीद विलेख और विभिन्न डिजिटल हस्ताक्षर सहित मुखौटा(शेल) संस्थाओं के जाल से संबंधित अपराध-संकेती दस्तावेज पाए गए और जब्त किए गए। इसके अलावा अपराध की आय (पीओसी) को छिपाने के लिए इन मुखौटा संस्थाओं में कई अचल संपत्तियां खरीदी गई हैं।

इसके अलावा, अब तक की गई जांच में कई कंपनियों के साथ वित्तीय लेनदेन की एक श्रृंखला सामने आई है जो ए. एफ. एल. द्वारा उत्पन्न पीओसी की परत में शामिल पाई गई है। इसके अलावा, अज्ञात/काल्पनिक व्यक्तियों के नाम पर कई मोबाइल नंबर हरीश बागला के पास पाए गए और उनका उपयोग कानून प्रवर्तन एजेंसियों से बचने के लिए किया जा रहा था।

आगे की जांच जारी है।